Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 7-2020] CHANDIGARH, TUESDAY, FEBRUARY 18, 2020 (MAGHA 29, 1941 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

विद्युत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 जनवरी, 2020

संख्या 16/15/2018–2P.– पंजाब विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1958 (1958 का पंजाब अधिनियम 10) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हरियाणा सरकार, इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौद्यिगिकी विभाग, अधिसूचना संख्या Admn./337/ISIT/5683 दिनांक 17 अक्तूबर, 2017 द्वारा अधिसूचित सूचना प्रौद्यिगिकी तथा इलैक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण पॉलिसी, 2017 के अनुसरण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, जनहित में, उक्त पॉलिसी विनिर्दिष्ट आई टी/आई टी ई एस तथा ई एस डी एम उघोगों को विद्युत कन्केशन जारी होने की तिथि से सात वर्ष की अवधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (iii) के अधीन उदग्रहणीय सम्पूर्ण विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करते हैं।

टिप्पणः ये लाभ उन इकाइयों, जो वाणिज्यिक उत्पादन कर रही हैं तथा जिन्होने 14 सितम्बर, 2017 को या के बाद विद्युत कनैक्शन प्राप्त किया है, को स्वीकार्य होंगे।

त्रिलोक चन्द गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्युत विभाग।